



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082022-238251
CG-DL-E-22082022-238251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407]
No. 407]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 45 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में दिनांक 02 जुलाई, 2021 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, -

सारणी में,

1. क्रम संख्या 165 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां संबंधित कॉलम में अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	खाद्य विश्लेषक और प्रयोगशाला का नाम
"166	डा. अशोक कुमार निकम मेसर्स केली-लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल"

2. क्रम संख्या 37 और 144 से संबंधित पंक्ति में प्रविष्टियां विलोपित मानी जाएंगी।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन III/4/असा./227/2022-23]

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 02 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी-

1. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 30 नवम्बर, 2021;
2. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 15 फरवरी, 2022; और
3. फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 10 जून, 2022

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[Food Safety And Standards Authority Of India]

NOTIFICATION

New Delhi, the 17 August, 2022

F. No. 12015/05/2021-QA.—In exercise of the powers conferred under sub section 5 of section 10 read with section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number F. No. 12015/05/2021-QA published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 2nd July, 2021, namely: -

In the table,

1. After serial no. 165, the following entries shall be inserted in respective columns namely: -

S. No.	Name of the Food Analyst & Laboratory
“166	Dr. Ashok Kumar Nikam M/s. Cali-Labs Private Limited, Bhopal”

2. At serial number 37 and 144 the respective entries of the row shall be omitted.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./227/2022-23]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 12015/05/2021-QA dated 2nd July 2021 and subsequently amended vide-

1. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 30th November 2021;
2. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 15th February 2022; and
3. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 10th June 2022.